

पत्र सं०-08/जसं(नि)देक-10/2006 अंश :-

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

**आदेश**

श्री उमेश प्रसाद सुधांशु, तत्कालीन कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, सं०-1, बरहेट के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-1930 के नियम- 55 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 2750 दिनांक- 21.10.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. श्री सुधांशु के दिनांक- 31.08.2012 को सेवानिवृत्त हो जाने के उपरान्त उपरोक्त विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम- 43बी में सम्परिवर्तित किया जाता है।

3. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत संकल्प ज्ञापांक- 2750 दिनांक- 21.10.2008 में श्री उमेश कुमार सुधांशु के स्थान पर उमेश प्रसाद सुधांशु पढ़ा जाय। इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय।

80 -

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : ..... 2220 ..... राँची/दिनांक ..... 12-05-12

प्रतिलिपि :- उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा- 3), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री उमेश प्रसाद सुधांशु, महावीर प्रसाद लेन, नयाचक (भोलानाथ पुल के पश्चिम गली में) भागलपुर-82001/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल सं०- 01, बरहेट/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vinay  
11/05/12

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव